

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2519/2025

वंदना शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 28.04.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Boythawala, झोटवाडा, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नारायणपुरा, नागौर में किया गया है, जो अपीलार्थी को नर्सिंग ऑफिसर दर्शाते हुए किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का पुत्र जो 14 वर्ष का है, उसे Quadriplegia है और वह 70 प्रतिशत दिव्यांग (Locomotor Disability) है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन दूरस्थ स्थान पर किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का पुत्र 70 प्रतिशत स्थायी विकलांगता से ग्रसित है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष